


कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या: 155 /एस0पी0ओ0-2019

दिनांक अप्रैल 05, 2019

सहायक रिटर्निंग ऑफिसर,
पुरोला/डुण्डा/भटवाड़ी।


दिनांक 11-04-2019 को सामान्य लोकसभा निर्वाचन-2019 का मतदान होना है। मतदान केन्द्रों पर स्वच्छता एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धुम्रपान आदि का वर्जित होना आवश्यक है। COTPA ACT-2003 के तहत भी सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान करना दण्डनीय अपराध है। अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि मतदान की तिथि को सभी मतदान केन्द्रों एवं मतदान परिसरों में धुम्रपान/तम्बाकू आदि का सेवन पूर्ण रूप से निषिद्ध करना सुनिश्चित करें।



(डा0 आशीष चौहान)

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि- नोडल अधिकारी (SVEEP)/जिला सेवायोजन अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त के सम्बन्ध में समस्त मतदेय स्थलों पर स्टीकर लगवाना एवं इसका वृहद प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।



जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी।